प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 10.09.2026**

- **थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए टप्पेबाजी कर छिनैती की घटना कारित करने वाले वांछित 04 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से छीनी गयी कान की बाली को बेचकर प्राप्त ₹ 7,450/- नगद व 04 मोबाइल किए गए बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 22.08.2026 को थाना सिकन्दरा पर वादी वीरेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रकाश निवासी रजौली गोहनी थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात द्वारा लिखित तहरीर बावत दिनांक 21.09.2026 को शाम 4.00 बजे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की पत्नी के साथ टप्पेबाजी कर कान की बाली छीन लेने के सम्बन्ध में दी गई जिसके आधार पर थाना सिकन्दरा पर मु0अ0सं0-157/2026 धारा 309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. सैफली पुत्र असलम, निवासी पिपलेडा ईको गार्डन, थाना धौलाना, जनपद हापुड़, 2. समीर पुत्र बॉबी, निवासी पिपलेडा ईको गार्डन, थाना धौलाना, जनपद हापुड़, हाल पता- सेक्टर नं0 11, विजय नगर, थाना विजय नगर, जनपद गाजियाबाद, 3. नईमुद्दीन पुत्र वाहिदेशा, निवासी बी-240, सेक्टर 11, विजय नगर, थाना विजय नगर, जनपद गाजियाबाद, 4. रियाजुद्दीन उर्फ कल्ली पुत्र साजिद, निवासी पिपलेडा, थाना धौलाना, जनपद हापुड़, हाल पता- सेक्टर-11, विजय नगर, थाना विजय नगर, जनपद गाजियाबाद को मुखबिर खास की सूचना पर मानपुर पुल के पास सर्विस रोड़ थाना क्षेत्र सिकन्दरा से दिनांक 09.09.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण की जामा तलाशी से कुल ₹ 7450/- नकद, 4 मोबाइल फोन व 1 आधार कार्ड बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण–

1. सैफली पुत्र असलम, निवासी पिपलेडा ईको गार्डन, थाना धौलाना, जनपद हापुड़, उम्र करीब 32 वर्ष।
2. समीर पुत्र बॉबी, निवासी पिपलेडा ईको गार्डन, थाना धौलाना, जनपद हापुड़, हाल पता- सेक्टर नं0 11, विजय नगर, थाना विजय नगर, गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष।
3. नईमुद्दीन पुत्र वाहिदेशा, निवासी बी-240, सेक्टर 11, विजय नगर, थाना विजय नगर, गाजियाबाद, उम्र करीब 36 वर्ष।
4. रियाजुद्दीन उर्फ कल्ली पुत्र साजिद, निवासी पिपलेडा, थाना धौलाना, जनपद हापुड़, हाल पता- सेक्टर-11, विजय नगर, थाना विजय नगर, गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी-

1. छीनी गयी कान की बाली को बेचकर प्राप्त ₹ 7,450 नगद।
2. 04 मोबाइल फोन।

पूछताछ अभियुक्तगण - पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण ने बताया कि दिनांक 21.08.2026 को समय करीब शाम 04.00 बजे सिकन्दरा कस्बा में बड़े चौराहे के पास एक महिला से हम लोग कान की बाली छीन कर भाग गये थे जिसे हम लोगों ने राहगीर को 24,000 रुपये में बेच दिया था। हम लोगो ने 6,000 – 6,000 रूपये चारों लोगों ने आपस में बांट लिये थे और अपने-अपने घर चले गये थे आज हम लोग फिर यहां आये हैं और एक बड़ी लूट की घटना की योजना बना रहे थे कि आप लोगों ने आकर हम लोगों को पकड लिया। साहब हम लोगो के पास से जो पैसा बरामद हुआ है वह उसी कान की बाली को बेचने से प्राप्त रुपयों का बचा हुआ रूपया है । बाकी पैसे हम लोगों से घर पर खर्च हो गए हैं।

अभियुक्त सैफली का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 157/2026 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 443/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना सुनगढ़ी जनपद पीलीभीत।

अभियुक्त समीर का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 157/2026 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त नईमुद्दीन का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 157/2026 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 02/2018 धारा 411 भादवि0 थाना विजय नगर जनपद गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 03/2018 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना विजय नगर जनपद गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0 443/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना सुनगढ़ी जनपद पीलीभीत।

अभियुक्त रियाजुद्दीन उर्फ कल्ली का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 157/2026 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 479/2024 धारा 312/313/317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-58, जनपद गौतमबुद्ध नगर।

गिरफ्तार करने वाली थाना सिकन्दरा पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुधाकर सिंह
2. उप निरीक्षक सुशील चन्द्र
3. हे0कां0 205 छत्रपाल सिंह
4. रि0कां0 392 मनीष कुमार
5. रि0कां0 413 योगेश कुमार
6. कां0 834 सतेन्द्र कुमार
7. कां0 279 केरन प्रताप सिंह।